प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 01.03.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 28.02.2026 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अमन चौधरी पुत्र श्री भगवान चौधरी निवासी मूल निवासी पता ग्राम सरैया थाना शाहाबगंज जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल निवासी खेडा मन्दिर के पास ग्राम दल्लुपुरा थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष को कनावनी पुलिया से 5-6 की पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर क्लाउड नाइन हास्पिटल नीतिखण्ड के पास झाडियो में छुपा रखी 03 अन्य मोटर साइकिल व 01 स्कूटी चोरी की को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं व मेरा साथी अरशद दोनो मिलकर दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र से मोटर साईकिल/स्कूटी चोरी करते हैं जिसको बेचकर हम अपने शौक मौज पूरे करते है। चोरी की मोटरसाईकिल व स्कुटी खरीदने वाला कोई ग्राहक कुछ दिनो से नही मिल रहा था, इसी कारण ये सारी मोटरसाईकिल व स्कूटी मैने व मेरे साथी ने लोगो की नजर से बचाकर झाडियो में खडी कर रखी थी। जो मोटर साइकिल मैं चलाकर ला रहा था उसे हमने थाना कौशाम्बी से पिछले महीने चोरी की थी को बेचने के लिये वसुन्धरा की तरफ ले जा रहा था तभी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। बरामद अन्य मोटर साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि अन्य 03 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी हमने क्रमशः थाना साहिबाबाद गाजियाबाद,थाना तिमारपुर दिल्ली,थाना भजनपुरा दिल्ली,थाना फर्श बाजार शाहदरा दिल्ली से चोरी की थी, साहब गलती हो गयी माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमन चौधरी पुत्र श्री भगवान चौधरी निवासी मूल निवासी पता ग्राम सरैया थाना शाहाबगंज जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल निवासी खेडा मन्दिर के पास ग्राम दल्लुपुरा थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, नोएडा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चोरी करने,चोरी की माल बरामद होने,लूट करने, एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी के 10 लाख 30 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 क्रेटा कार बरामद।

दिनांक 22.02.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त फुरकान पुत्र अजीज खान निवासी वार्ड न0 4 कस्बा ठिरिया निजावत खां थाना कैंट जिला बरेली उम्र करीब 52 वर्ष व अज्ञात लोगों द्वारा जिला मुजफ्फरनगर में जमीन का एग्रीमेंट कराने के लिए तहसील मोदीनगर बुलाकर बीच रास्ते में ही फुरकान ने मुझे अपनी क्रेटा गाडी में बैठा लिया तथा साथ में ही 35 लाख रुपये नकद बैग भी उसी गाडी में रख लिया था जब हम मोदीनगर तहसील की तरफ चलने लगे तभी पीछे से दो गाड़ियाँ आयीं और अपने आप को क्राइम ब्रान्च में होने का बताकर मुझे फुरकान की गाडी से उतारकर अपनी गाडी में बैठा लिया तथा बैग जिसमें 35 लाख रुपये नकद एग्रीमेंट वाले थे, वो फुरकान की गाडी में रखवा लिये थे। इसके बाद कथित क्राइम ब्रान्च वाले मुझे दुहाई की तरफ लेकर अपनी गाडी से उतार दिया और वहाँ से चले गये। फुरकान का फोन भी स्विचऑफ आ रहा था। इस तरीके से उन लोगों ने धोखाधड़ी करके एग्रीमेंट के 35 लाख रुपये हम से ठग लिये थे जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.03.2026 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की सहायता से मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. फुरकान पुत्र अजीज खान निवासी वार्ड नं0 4 कस्बा ठिरिया निजावत खा थाना कैंट जिला बरेली उम्र करीब 52 वर्ष 2. विनोद चौहान पुत्र स्व0 ओम प्रकाश निवासी गली नं0 9 थाना मनसोर पार्क जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से ठगी के 10 लाख 30 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 क्रेटा कार बरामद हुई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्त 1.फुरकान पुत्र अजीज खान निवासी वार्ड न0 4 कस्बा ठिरिया निजावत खां थाना कैंट जिला बरेली उम्र करीब 52 वर्ष जिसकी जामातलाशी से पहने हुए शर्ट की जेब से 2 हजार (कुल 4 नोट 500-500) व एक की-पैड मोबाइल जिओ भारत रंग काला बरामद हुआ तथा नीले रंग की पहने जींस की दाहिनी जेब से एक सैमसंग मोबाइल रंग लाइट ब्लू बरामद हुआ दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विनोद चौहान पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश निवासी म0न0 129 गली न0 9 थाना मनसोर पार्क जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उम्र करीब 52 बर्ष जिसके पहने पैंट की दाहिनी जेब से 2 हजार 2 सौ रुपए (200-200 के 11 नोट) व एक मोबाइल वीवों रंग नीला बरामद हुआ। दोनों व्यक्तियो से भागने का कारण पूछा तो दोनों ने एक स्वर मे बताया कि हमने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 21 फरवरी को मेरठ रोड पर पुलिस चौकी के पीछे इमरान व मनव्वर के साथ 35 लाख रुपयों की ठगी की थी इसी डर के कारण भाग रहे थे। सख्ती से पूछताछ करने पर फुरकान पुत्र अजीज उपरोक्त ने बताया कि मैंने इमरान और मनब्बर से ठगी करने की बात अपने मित्र विनोद और राम विलास को बताई थी। राम विलास अपने साथ चार आदमी काली रंग की स्कॉर्पिओ गाड़ी में लेकर आया था, मैं अपनी इसी क्रेटा कार से दिल्ली से विनोद और राम विलास को साथ लेकर मुरादनगर पहुचा था और मुरादनगर कस्बे में रोड पर राम विलास और विनोद को कार से उतार कर अकेला मैं, इमरान, मनब्बर और किसान सदाकत से बात करने गंग नहर पटरी पर चला गया था गंग नहर पटरी पर मैंने इमरान और मनब्बर के लाए हुए 35 लाख रुपये का बैग अपनी क्रेटा कार में यह कह कर रखवा लिया कि दूसरी पार्टी विनोद कुछ देर में दिल्ली से 45 लाख रुपया लेकर आ रही है फिर पूरा पैसा मिलाकर 80 लाख रुपया किसान सदाकत को दे कर जमीन का एग्रीमेंट करा लेंगे, मैंने विश्वास में लेकर इमरान को अपनी कार में बैठा लिया और मनब्बर और किसान सदाकत को एग्रीमेंट के कागज तैयार कराने के लिए मोदीनगर तहसील भेज दिया, मैंने दूसरी पार्टी विनोद के आने का बहाना बना कर कार को पुलिस चौकी के पीछे यह कह कर रोक दिया कि कुछ देर में ही दूसरी पार्टी आ रही है मैंने अपनी लोकेशन विनोद को व्हाटसऐप पर कॉल कर बताई कुछ देर बाद विनोद, राम विलास और 4 अन्य व्यक्तियों के साथ एक काली रंग की स्कॉर्पिओ कार से आए और मेरी कार से निकाल कर इमरान को स्कॉर्पिओ गाड़ी मे ले गए, मेरी कार में राम विलास के साथ आया एक व्यक्ति बैठ गया और हम सभी लोग अपनी अपनी गाडी से आगे से यू टर्न लेकर वापस गाजियाबाद की तरफ चले गए आगे जाकर राम विलास ने इमरान को कार से उतार दिया और मैंने विनोद को अपनी कार में बैठाया और हम दोनों भी दिल्ली चले गए अगले दिन 22 तारीख को रामविलास ने मुझे 18 लाख रुपया दिया बाकी का पैसा रामविलास ने रख लिया, मैंने 50 हजार रुपये ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करवा कर विनोद के खाते में दिया कुछ रुपया मैंने अपने कर्जे वालों को दे दिया। बाकी रुपया मेरी कार में मैट के नीचे रखा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता –

1. फुरकान पुत्र अजीज खान निवासी वार्ड न0 4 कस्बा ठिरिया निजावत खां थाना कैंट जिला बरेली उम्र करीब 52 वर्ष
2. विनोद चौहान पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश निवासी गली नं0 9 थाना मनसोर पार्क जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उम्र करीब 52 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। तथा अभियुक्त फुरकान के विरुद्ध एनसीआर क्षेत्र में कुल ठगी व मारपीट के 08 मुकदमें दर्ज है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

गैंगस्टर अभियुक्त दिनेश उर्फ मोनू उर्फ राहुल व गैंगस्टर पंकज उर्फ सोनू व गैंगस्टर मोंटी पुत्रगण राजेश निवासी म0नं0 127ए दौलतपुरा, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा आपराधिक कृत्य से परिवारीजनों के नाम अर्जित अवैध सम्पत्ति एक करोड़ नवासी लाख साठ हजार (1,89,60,000/-) रुपये की बाजार कीमत की अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय श्री जे. रविंदर गौड के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.03.2026 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश उर्फ मोनू उर्फ राहुल व गैंगस्टर पंकज उर्फ सोनू व गैंगस्टर मोंटी पुत्रगण राजेश निवासी म0नं0 127ए दौलतपुरा, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा आपराधिक कृत्य से परिवारीजनों के नाम अर्जित अवैध सम्पत्ति एक करोड़ नवासी लाख साठ हजार (1,89,60,000/-) रुपये की बाजार कीमत की अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया।

जब्त अचल सम्पत्ति का विवरण – खसरा नं0 1386 आवासीय फ्लैट 70 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया जिसमें 03 बैड रुम, 01 ड्राईंग रुम, 01 लॉभी, 01 किचन, 02 टायलेट/बाथरुम मकान नं0 128ए ब्लाक ए स्थित न्यू पंचवटी कालोनी थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद अनुमानित कीमत एक करोड़ नवास्सी लाख साठ हजार (1,89,60,000/-) रुपये ।

- गैंगस्टर अभियुक्त दिनेश उर्फ मोनू उर्फ राहुल पुत्र राजेश निवासी म0नं0 127ए दौलतपुरा, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद का आपराधिक इतिहास-

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	859/2023	392/411 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
2	140/2025	304(2)/317(2) बीएनएस	कौशाम्बी	गाजियाबाद
3	356/2025	3(5)/317(5)बीएनएस	मधुबन बापूधाम	गाजियाबाद

4	398/2025	304(2)बीएनएस	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
5	429/2025	3(5)/317(5) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
6	459/2025	304(2)बीएनएस	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
7	919/2025	303(2)/317(2)बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
8	985/2025	304(2)बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
9	993/2025	3(5)/317(5) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
10	1003/2025	112(2)/3(5)/317(2) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
11	1026/2025	109(1)/3(5)/317(2)/317(5) बीएनएस व 25/27/3 आयुध अधि0	कविनगर	गाजियाबाद
12	1145/2025	303(2) बीएनएस	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
13	1202/2025	304(2)बीएनएस	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
14	04/2026	2/3 गैंगस्टर एक्ट	कविनगर	गाजियाबाद

- गैंगस्टर अभियुक्त पंकज उर्फ सोनू पुत्र राजेश निवासी म0नं0 127ए दौलतपुरा, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद का आपराधिक इतिहास-

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	356/2025	3(5)/317(5)बीएनएस	मधुबन बापूधाम	गाजियाबाद
2	429/2025	3(5)/317(5) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
3	919/2025	303(2)/317(2)बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
4	985/2025	304(2)बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
5	993/2025	3(5)/317(5) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
6	1003/2025	112(2)/3(5)/317(2) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
7	1026/2025	109(1)/3(5)/317(2)/317(5) बीएनएस व 25/27/3 आयुध अधि0	कविनगर	गाजियाबाद
8	1145/2025	303(2) बीएनएस	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
9	1202/2025	304(2)बीएनएस	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
10	04/2026	2/3 गैंगस्टर एक्ट	कविनगर	गाजियाबाद

- गैंगस्टर अभियुक्त मोंटी पुत्र राजेश निवासी म0नं0 127ए दौलतपुरा, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद का आपराधिक इतिहास-

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	356/2025	3(5)/317(5)बीएनएस	मधुबन बापूधाम	गाजियाबाद
2	429/2025	3(5)/317(5) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
3	985/2025	304(2)बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
4	993/2025	3(5)/317(5) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
5	1003/2025	112(2)/3(5)/317(2) बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
6	1016/225	317(2)/317(5)बीएनएस	कविनगर	गाजियाबाद
7	04/2026	2/3 गैंगस्टर एक्ट	कविनगर	गाजियाबाद

नोटः- **गैगस्टर अभियुक्तगण उपरोक्त तीनो सगे भाई है। जो जिला कारागार में निरुद्ध है। जिन पर दर्जनो मुकदमे जनपद के भिन्न-भिन्न थानो में पंजीकृत है। जिनका मुख्य पेशा लूट, चोरी, छिनैती, जानलेवा हमला व अवैध हथियार व नशीला कारोबार है।**